

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-432/दो-4-2011-32(1)/05
लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2011
कार्यालय-ज्ञाप

22/139

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-22/पी.एस.(आर.जी.)/2010 दिनांक 19.1.2010 द्वारा उ० प्र० उच्चतर सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के नियम-18,20 एवं 21 के अन्तर्गत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से उच्चतर न्यायिक सेवा हेतु चयनित कुल 115 अधिकारियों, जिसमें से 81 पद श्रेष्ठता एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तथा 'बार' से सीधी भर्ती के अन्तर्गत 34 अभ्यर्थियों की संस्तुति नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी थी।

2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित संस्तुति में उ० प्र० राज्य में लागू आरक्षण नियमों एवं अन्य मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था, अतः प्राप्त विधिक राय के अनुसार उ० प्र० राज्य की ओर से मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ० प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में आई.ए. संख्या-83/2010 उ० प्र० राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद योजित की गयी। उक्त आई.ए. में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.1.2010 में संस्तुत विभागीय 81 न्यायिक अधिकारियों में से 77 अधिकारियों की उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति/तैनाती विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-2371/दो-4-2010-32(1)/2005 दिनांक 4.9.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2764/दो-4-2010-32(1)/05 टी.सी.-। दिनांक 3.1.2011 निर्गत किये गये।

3- उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से सीधी भर्ती के अन्तर्गत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में चयनित 34 अभ्यर्थियों के बारे में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आई.ए. संख्या-83/2010 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2010 द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिये गये कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये जाय। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 15.11.2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रश्नगत सीधी भर्ती के चयन में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने सम्बन्धी अन्य निर्देश भी दिये गये।

4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19.1.2010 में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही श्री अनमोल पाल की भी संस्तुति शासन को भेजी गई थी जिसमें श्री पाल की संस्तुति मा० उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस०एल०पी०सं०-19298/04 एवं

संख्या-7081/04 में होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन मानी गई है। श्री अनमोल पाल जो कि पी.सी.एस.(जे.) परीक्षा 2006 के तहत, अतिरिक्त सिविल जज (जू.डि.) के पद पर कार्यरत थे, की संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र सं०-683/ चार-3756 /एडमिन(ए-1) दिनांक 13.1.2011 में प्राप्त उच्च न्यायालय की संस्तुतियों के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-106/दो-4-11-32(1)/05 टी.सी. दिनांक 1.2.2011 द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में अतिरिक्त सिविल जज (जू.डी.) के पद से त्याग पत्र स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-3119/दो-4-2010-32(1)/05 दिनांक 24.12.2010, का० ज्ञाप सं०-3420/दो-4-2010-32(1)/05 दिनांक 4.1.2011, का० ज्ञाप सं०-59/दो-4-2011-32(1)/05 दिनांक 12.1.2011 कार्यालय ज्ञाप संख्या-75/दो-4-2011-32(1)/05 दिनांक 19.1.2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-305/ दो-4-2011-32(1)/05 दिनांक 10.2.2011 के अनुक्रम में उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथा संशोधित के नियम-22 (1) एवं 22 (2) के अन्तर्गत चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को प्रस्तर-5/6 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1-	श्री अनमोल पाल पुत्र श्री एम.आर. के. पाल	एच.एन. 5 डी महादेव झारखण्डी टुकड़ा शिवपुर रोड, सिंहारिया पो०-कुनराघाट, जिला-गोरखपुर उ० प्र०-273008

5- श्री अनमोल पाल की नियुक्ति मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल एस. एल.पी. संख्या-19298/2004 एवं एस.एल.पी. संख्या-7081/2004 एवं एक विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-17201 से 17213/2007 उच्च न्यायालय बनाम संजय अग्रवाल व अन्य एवं सम्बद्ध याचिकाओं तथा सिविल अपील संख्या-1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ० प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में योजित आई.ए. संख्या-83/2010 उ० प्र० राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं आई. संख्या-84/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी।

6- उपरोक्त आई.ए. संख्या-83/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 एवं 15.11.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19.1.2010 द्वारा संस्तुत प्रोन्नति कोटे/सीधी भर्ती के उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त बैच 2009 के अन्तर्गत आरक्षण कोटा पूर्ण

229/1319

होने के संदर्भ में किये जाने वाले चयन से नियुक्त होने वाले अधिकारियों की पारस्परिक श्रेष्ठता मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

कुँवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव

संख्या-432(1)/दो-4-2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ० प्र० इलाहाबाद को उ० प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

विशेष वाहक द्वारा

2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-22/पी.एस.(आर.जी.) दिनांक 19.1.2010 के संदर्भ में इस विज्ञप्ति की 02 अतिरिक्त प्रति, सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में, इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा० न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाय।

3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र० शासन।

4- प्रमुख सचिव मा० मुख्य मंत्री जी उ० प्र० शासन।

5- प्रमुख सचिव, न्याय, विधायी एवं विधि परामर्शी उ० प्र० शासन।

6- प्रमुख सचिव संसदीय कार्य, उ० प्र० शासन।

7- महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।

8- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

- 9- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० गोमती नगर लखनऊ।
- 10- श्री कमलेन्द्र मिश्रा, ए.ओ.आर. मा० उच्चतम न्यायालय, बी.-23 सागर अपार्टमेन्ट-6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
- 11- न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग/न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग।

रजिस्टर्ड

12- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा संयुक्त सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी जब तक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं वह तब तक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्रा)

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-432/दो-4-2011-32(1)/05
लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2011
कार्यालय-ज्ञाप

Regm 139

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-22/पी.एस.(आर.जी.)/2010 दिनांक 19.1.2010 द्वारा उ० प्र० उच्चतर सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के नियम-18,20 एवं 21 के अन्तर्गत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से उच्चतर न्यायिक सेवा हेतु चयनित कुल 115 अधिकारियों, जिसमें से 81 पद श्रेष्ठता एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तथा 'बार' से सीधी भर्ती के अन्तर्गत 34 अभ्यर्थियों की संस्तुति नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासन को उपलब्ध करायी गयी थी।

2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित संस्तुति में उ० प्र० राज्य में लागू आरक्षण नियमों एवं अन्य मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था, अतः प्राप्त विधिक राय के अनुसार उ० प्र० राज्य की ओर से मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ० प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में आई.ए. संख्या-83/2010 उ० प्र० राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद योजित की गयी। उक्त आई.ए. में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.1.2010 में संस्तुत विभागीय 81 न्यायिक अधिकारियों में से 77 अधिकारियों की उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति/तैनाती विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-2371/दो-4-2010-32(1)/2005 दिनांक 4.9.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2764/दो-4-2010-32(1)/05 टी.सी.-। दिनांक 3.1.2011 निर्गत किये गये।

3- उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से सीधी भर्ती के अन्तर्गत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में चयनित 34 अभ्यर्थियों के बारे में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित आई.ए. संख्या-83/2010 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2010 द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिये गये कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये जाय। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 15.11.2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रश्नगत सीधी भर्ती के चयन में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने सम्बन्धी अन्य निर्देश भी दिये गये।

4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19.1.2010 में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही श्री अनमोल पाल की भी संस्तुति शासन को भेजी गई थी जिसमें श्री पाल की संस्तुति मा० उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस०एल०पी०सं०-19298/04 एवं

29/11/139

संख्या-7081/04 में होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन मानी गई है। श्री अनमोल पाल जो कि पी.सी.एस.(जे.) परीक्षा 2006 के तहत, अतिरिक्त सिविल जज (जू.डि.) के पद पर कार्यरत थे, की संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र सं०-683/ चार-3756 /एडमिन(ए-1) दिनांक 13.1.2011 में प्राप्त उच्च न्यायालय की संस्तुतियों के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-106/दो-4-11-32(1)/05 टी.सी. दिनांक 1.2.2011 द्वारा उ० प्र० न्यायिक सेवा में अतिरिक्त सिविल जज (जू.डी.) के पद से त्याग पत्र स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-3119/दो-4-2010-32(1)/05 दिनांक 24.12.2010, का० ज्ञाप सं०-3420/दो-4-2010-32(1)/05 दिनांक 4.1.2011, का० ज्ञाप सं०-59/दो-4-2011-32(1)/05 दिनांक 12.1.2011 कार्यालय ज्ञाप संख्या-75/दो-4-2011-32(1)/05 दिनांक 19.1.2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-305/ दो-4-2011-32(1)/05 दिनांक 10.2.2011 के अनुक्रम में उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथा संशोधित के नियम-22 (1) एवं 22 (2) के अन्तर्गत चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को प्रस्तर-5/6 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1-	श्री अनमोल पाल पुत्र श्री एम.आर. के. पाल	एच.एन. 5 डी महादेव झारखण्डी टुकड़ा शिवपुर रोड, सिंहारिया पो०- कुनराघाट, जिला-गोरखपुर उ० प्र०-273008

5- श्री अनमोल पाल की नियुक्ति मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल एस. एल.पी. संख्या-19298/2004 एवं एस.एल.पी. संख्या-7081/2004 एवं एक विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-17201 से 17213/2007 उच्च न्यायालय बनाम संजय अग्रवाल व अन्य एवं सम्बद्ध याचिकाओं तथा सिविल अपील संख्या-1867/2006 मलिक मजहर सुल्तान व अन्य बनाम उ० प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में योजित आई.ए. संख्या-83/2010 उ० प्र० राज्य सरकार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं आई. संख्या-84/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी।

6- उपरोक्त आई.ए. संख्या-83/2010 में पारित मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2010 एवं 15.11.2010 के अनुपालन में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19.1.2010 द्वारा संस्तुत प्रोन्नति कोटे/सीधी भर्ती के उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त बैच 2009 के अन्तर्गत आरक्षण कोटा पूर्ण

22/1/11 139

होने के संदर्भ में किये जाने वाले चयन से नियुक्त होने वाले अधिकारियों की पारस्परिक श्रेष्ठता मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 यथासंशोधित के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

कुँवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव

संख्या-432(1)/दो-4-2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, उ० प्र० इलाहाबाद को उ० प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।

विशेष वाहक द्वारा

- 2- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-22/पी.एस.(आर.जी.) दिनांक 19.1.2010 के संदर्भ में इस विज्ञप्ति की 02 अतिरिक्त प्रति, सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में, इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा० न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाय।

- 3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव मा० मुख्य मंत्री जी उ० प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, न्याय, विधायी एवं विधि परामर्शी उ० प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव संसदीय कार्य, उ० प्र० शासन।
- 7- महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 8- संयुक्त निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

Reg. No. 139

- 9- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० गोमती नगर लखनऊ।
- 10- श्री कमलेन्द्र मिश्रा, ए.ओ.आर. मा० उच्चतम न्यायालय, बी.-23 सागर अपार्टमेन्ट-6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
- 11- न्याय (उच्च न्यायालय) अनुभाग/न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग।

रजिस्टर्ड

12- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं तो उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा संयुक्त सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी जब तक उच्चतर न्यायिक सेवा के पद पर स्थाई रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं वह तब तक अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।

u

सर्विस के लिए किसी उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में इण्डियन सिविल को छोड़कर भारतीय प्रान्तीय नौकरियों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य परीक्षा सम्बन्धी नियमविधान, रेग्युलेशन)

1. उत्तर प्रदेश सरकार अन्तर्गत किसी नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को योग्य घोषित करने के निमित्त यह आवश्यक है कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से रहित हो, जिसके कारण उसे अपने पद के कर्तव्यों को सुचारु रूप से पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।
2. यूरोपीय जाति के उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए आयु कद और छाती की चौड़ाई का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करने में, निम्नलिखित तालिका उदाहरण स्वरूप उपयोग में लानी चाहिए। यह भारतीय मिश्रित जातियों के सम्बन्ध में उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

शारीरिक अनुरूपता

पिछली वर्षगांठ को आयु	जूता उतार के लम्बाई	छाती की चौड़ाई पूरी फुलाने पर	फुलाने पर छाती का विस्तार निम्नलिखित से कम न हो
1	2	3	4
		इन्च	इन्च
16	60 और 62 इन्चों से कम	— 32-1/2	2
	62 और 65 इन्चों से कम	— 33-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	— 33-1/2	2
	68 और 72 इन्चों से कम	— 34	2
	72 और इससे अधिक	— 34-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	— 33-1/2	2
17	62 और 65 और इससे अधिक	— 33-1/2	2
	65 और 68 और इससे अधिक	— 33-1/2	2
	68 और 72 और इससे अधिक	— 34-1/2	2
	72 और इससे अधिक	— 35-1/2	2
18	62 और 65 इन्चों से कम	— 34	2
	65 और 68 इन्चों से कम	— 34-1/2	2
	68 और 72 इन्चों से कम	— 35	2
	72 और इससे अधिक	— 35-1/2	2
19	62 और 65 इन्चों से कम	— 34	2
	65 और 68 इन्चों से कम	— 34-1/2	2
	68 और 70 इन्चों से कम	— 34	2
	70 और 72 इन्चों से कम	— 35-1/2	2
	72 और इससे अधिक	— 36	2
20	62-1/2 और 65 इन्चों से कम	— 34-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	— 34-1/2	2
	68 और 70 इन्चों से कम	— 35	2
	70 और 72 इन्चों से कम	— 35-1/2	2
	72 और इससे अधिक	— 36	2
21	62-1/2 और 65 इन्चों से कम	— 34-1/2	2
	65 और 68 इन्चों से कम	— 35	2
	68 और 70 इन्चों से कम	— 35-1/2	2
	70 और 72 इन्चों से कम	— 36	2
	72 और इससे अधिक	— 36-1/2	2

3. उम्मीदवार की लम्बाई इस प्रकार नापी जायेगी। वह अपने जूते उतारेगा और मापदण्ड (Standard) के सामने अपने दोनों पैर मिलाकर तथा एड़ियों के बल खड़ा होगा, न कि अंगूठों या पैर में बाहर की ओर देकर खड़ा होगा। वह स्वाभाविक रूप से सीधा खड़ा होगा और एड़ियां, पिंडलियां, चूतड़ और कंधे मापदण्ड को स्पर्श करें टडडी को इस प्रकार नीचे किया जायेगा कि सिर के धरातल का सबसे ऊँचा भाग मापदण्ड के हारिजंटल-बार के नीचे लगा रहे और न0 को माप इन्चों में और इन्च के चौथाई भाग में लिखी जायेगी। इण्डियन पुलिस फोर्स के लिए कम से कम 5 फुट 4 इन्च की लम्बाई आवश्यक है, लेकिन अन्य विभागों में लम्बाई की कोई निर्धारित सीमा नहीं रखी गई है।

4. उम्मीदवार की छाती इस प्रकार नापी जायेगी। वह पाँव को मिलाकर अपने सिर के ऊपर दोनों बाहों को उठाकर सीधा खड़ा किया जायेगा फीता उसकी छाती के चारों ओर इस प्रकार रखा जायगा कि उसका ऊपरी सिरा कन्धे की हड्डी के पीछे की ओर के निम्न कोणों को और उसका नीचे का सिरा सामने स्तनों की ढपेनी (Nipples) के ऊपरी भागों को छूता रहे। तब बाँहें नीचे की जायेंगी ताकि वे ढीले रूप में बगल की ओर लटकी रहें और इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कन्धे ऊपर या नीचे की ओर न किये जाये, जिससे फीता अपनी जगह से इधर उधर न हो। इसके बाद उम्मीदवार को कई बार गहरी साँस लेने के लिए आदेश किया जायेगा और सीने का अधिक से अधिक विस्तार सावधानी से लिख जायेगा, कम से कम और अधिक से माप इन्चों में लिखी जायेगी। 33-35 34-36-1/2 नापों को लिखने में 1/2 इन्च से कम भाग छोड़ देना चाहिए।

5. उम्मीदवार की तौल भी ली जायेगी और वजन पाउन्डों में लिखा जायेगा। एक पाउन्ड से कम भाग नहीं लिखा जायेगा।

6. नोट :- रेलवे कर्मचारियों और रायल इन्डियन मेरीन के चालाके (Pilot) के लिए विशेष नियम लागू हैं।

(क) दृष्टि की तीव्रता को जानने के लिए परीक्षा में 2 प्रकार की जाँच सम्मिलित हैं - एक दूर दृष्टि के लिए और दूसरी निकट दृष्टि के लिए दूर दृष्टि के लिए स्नेलन जाँच-विधियाँ प्रयोग में लायी जायेंगी, जो बिना ऐनक पहने हुए 20 फिट की दूरी से होगी, जो उम्मीदवार द्वारा चुनी जाय।

दृष्टि की न्यूनतम सूक्ष्मता के मापदण्ड - जो किसी उम्मीदवार की परीक्षा के लिए पथ प्रदर्शन के निमित्त प्रयोग में लाये जायेंगे निम्नलिखित हैं :-

मापदण्ड (Standard)

दाईं आँख
दूर दृष्टि-वी = 6/6
निकट दृष्टि-पढ़ने में 0.6

बाईं आँख
बी=6/6
पढ़ने में 0.6

मापदण्ड (Standard) 2

अच्छी आँख
दूर दृष्टि बी=6/6

खराब आँख
वी0 बिना ऐनक पहिने हुये 2=6/60
से कम नहीं और ऐनक पहिन कर ठीक
होने के बाद 6/24 से कम नहीं।

मापदण्ड (Standard) 3

निकट दृष्टि-पढ़ने में 0.6
अच्छी आँख
दूर दृष्टि-की बिना ऐनक के
=6/24 और ऐनक पहिन कर
दृष्टि ठीक करने पर 6/6 से कम न हो।
निकट दृष्टि पढ़ने में 0.8

पढ़ने में 1
खराब आँख
बी0 बिना ऐनक के=6/24 से कम न हो
ऐनक पहिन कर दृष्टि ठीक करने 6/12
से कम न हो। पढ़ने में 1

भारतीय और प्रान्तीय पुलिस सर्विसों को छोड़कर अन्य सर्विसों के लिए मापदण्ड (Standard) अस्थायी रूप से घटाकर 6/60 कर दिया गया है।

- (क) प्रत्येक आँख के लिए यह आवश्यक है कि हाथ को हिला डुला के जाँच करने में दृष्टि-क्षेत्र में पूरा-पूरा हो।
- (ख) टेढ़ी दृष्टि या आँखों के या किसी आँख के पलकों की इस प्रकार व्याधि-ग्रस्त होने से जिससे आँख की बीमारी बढ़ जाने या फिर से पैदा होने की संभावना हो उम्मीदवार नहीं लिया जायेगा।
- (ग) हर आँख की जाँच अलग-अलग की जायेगी और जाँच के समय पलकें बिल्कुल खुली रहनी चाहिए।
- (घ) प्रमुख रोगी की पहचान की असमर्थता, अस्वीकृत होने के कारण नहीं होगी, लेकिन यह बात कार्यवाहियों में लिख दी जायेगी और उम्मीदवार को उसकी सूचना दे दी जायेगी।
- (च) नौकरी के सब उम्मीदवारों की दृष्टि सूक्ष्मता की माप निम्नलिखित विधि से कार्यवाहियों के रजिस्टर में लिखी जायेगी -

दृष्टि दाई ऐनक पहिन कर पढ़ने पर
 दृष्टि बाई ऐनक पहिन कर पढ़ने पर

(गम्भीर असाधारणता की दशाओं में चक्षु विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए)

7. पेशाब (परीक्षक के सामने की गई) की जाँच की जानी चाहिए और परिणाम लिख लिया जाना चाहिए।
8. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए।
- (क) कि उम्मीदवार के प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है और कोई कान की बीमारी का चिन्ह नहीं है।
- (ख) उसकी बोलचाल में कोई रुकावट नहीं है।
- (ग) उसके दाँत अच्छी हालत में हैं जहाँ की आवश्यक हो अच्छी तरह चबाने के लिए उतने दण्ड-पक्ति लगा की। (समुचित रूप से भरे हुए दाँत अच्छे समझे जायेंगे।)
- (घ) उसकी छाती का गठन अच्छा है और उसकी छाती का फैलाव पर्याप्त है तथा उसके दिल और फुसफुस अच्छी अवस्था में है।
- (ङ) उसमें पेट की बीमारी के कोई लक्षण नहीं है।
- (च) उसका शरीर विदोर्ण नहीं है।
- (छ) उसे अण्ड वृद्धि, अत्यधिक मात्रा में अण्ड-कोष की नसों की सूजन और नसों का फूल आना या बवासीर नहीं है।
- (ज) उसके अंग हाथ और पैर अच्छे ढंग से देखे हैं और सुगठित है तथा उसके सम्पूर्ण जोड़ों की क्रियायें स्वच्छद और पूर्ण रूप से होती है।
- (झ) उसे किसी प्रकार का पुराना चर्म रोग नहीं है।
- (ट) उसके शरीर में कोई पैदाइशी अंग-विकृति या दोष नहीं है।
- (ठ) उसमें कोई नई या पुरानी बीमारी के चिन्ह, जो उसकी शारीरिक निर्बलता के सूचक हों नहीं है।
- (ड) उसके सफल टीके के चिन्ह विद्यमान हैं।

जब कोई दोष पाया जाय प्रमाण-पत्र पर उसका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए और स्वास्थ्य परीक्षक को अपनी अनुमति देना चाहिए कि इसके कारण उस कार्य को सुचारु रूप से सम्पादन करने में, जो उम्मीदवार को करना पड़ेगा, कोई बाधा पड़ने की संभावना है कि नहीं। यदि उसकी अवस्था आपरेशन करने से सुधर सकती हो, तो उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

(4)

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में घोषणा का कार्य जिसे वे उम्मीदवार भरेंगे जिनकी जाँच

मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाय

मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार द्वारा विवरण उम्मीदवार को अपनी मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच होने से पहले निम्नलिखित विवरण अवश्य देना होगा और बोर्ड के सामने इसके साथ नत्थी किये हुये घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे?

अनमोल पाल (ANMOL PAL)

1. अपना पूरा नाम लिखिये (बड़े और स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्म स्थान लिखिये जिला - बस्ती (उ.प्र.)
3. अपनी आयु और जन्म की तारीख लिखिये लगभग साढ़े सैंतीस वर्ष (37½) जन्म की तारीख 25-04-1973
4. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दीजिए :-

पिता की आयु, यदि जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की हालत	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	भाइयों की संख्या, जो जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की हालत	भाइयों की संख्या, जिनकी मृत्यु हो गयी हो, उनकी मृत्यु के समय आयु और मृत्यु का कारण
लगभग 63 वर्ष (62½) स्वास्थ्य - उत्तम	NA	एक भाई - 42½ वर्ष स्वास्थ्य - उत्तम	NA
माता की आयु, यदि जीवित हैं और उनके स्वास्थ्य की हालत	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	बहिनों की संख्या, जो जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की हालत	बहिनों की संख्या जिनकी मृत्यु हो गयी है, उनकी मृत्यु के समय आयु और मृत्यु का कारण
लगभग 60½ वर्ष स्वास्थ्य - उत्तम	NA	NA	NA

5. क्या आपके कोई निकट सम्बन्धी क्षय रोग (यक्ष्मा, गन्डमाला, कर्कट, दमा, चक्कर आना, मृगी, उन्माद और किसी अन्य प्रकार के रोग) से पीड़ित रहे?
6. क्या आप कभी विदेश गये? कहाँ, कितनी अवधि के लिए कितने समय पूर्व?
7. क्या आपने कभी नौ सेना, थल सेना, वायु सेना या किसी सरकारी विभाग में नौकरी की है?
8. क्या कभी आपके स्वास्थ्य की परीक्षा (क) जीवन बीमा के लिये या और (ख) राज्य की किसी सरकारी मेडिकल अफसर, सिविल या मिलिट्री बोर्ड द्वारा हुई है? यदि हुई है तो उसका विवरण और परिणाम दीजिये।

नहीं

नहीं

उ.प्र. - न्यायिक सेवा (P.C.S (J))

P.C.S (J) 2006 का मेडिकल शीटान CMO
लखनऊ द्वारा दिनांक 9/2/2009 को।
परिणाम ठीक था। स्वामिगं हुमी भी

ह0 अभ्यर्थी

6. क्या कभी ये रोग हुये -

(क) चेचक विषम या कोई ज्वर, गिल्टियों में वृद्धि या पक जाना, थूक के साथ-साथ खून आना, दमा फेफड़ों की सूजन, फेफड़े में पानी भरना, दिल की बीमारी, मूर्छा लाने वाले चक्करोँ का आना, गठिया, उपात्रशीथ, मृगी, उन्माद या अन्य स्नायु सम्बन्धी रोग, कान का बहना या कोई और कान की बीमारी, सुजाक, उपदेश या।

नहीं

(ख) कोई अन्य प्रकार का रोग जिसके कारण बिस्तर पर पड़े रहने औषधि अथवा चीरफाड़ द्वारा उपचार की आवश्यकता है, या

नहीं

(ग) चीरफाड़ द्वारा किसी प्रकार का उपचार हुआ।

नहीं

(घ) क्या आपको किसी ऐसी बीमारी, घाव या चोट से पीड़ित रहे, जो आपके इस समय हुई या पहुँची, जबकि आप 1914 ई0 को आरम्भ होने वाले युद्ध में श्रीमान सम्राट सेनाओं में थे?

नहीं

10. क्या आपका शरीर विदीर्ण है?

नहीं

11. क्या आपको अण्ड वृद्धि, अण्ड-कोष की नसों की सूजन और नसों का फूल आना और बवासीर का रोग है?

नहीं

12. क्या आपकी प्रत्येक आँख की दृष्टि अच्छी है? (जो उम्मीदवार ऐनक पहनते हों उनसे प्रार्थना है कि वे उनके नुसखे या ऐनक अपने साथ लायें)

हाँ

13. क्या आपके प्रत्येक कान की श्रवण शक्ति अच्छी है?

हाँ

14. क्या आपको कोई स्वाभाविक रूप से उत्पन्न या बाद में पैदा हुई अंग विकृति, दोष या कुरूपता है?

नहीं

15. आपको पिछली बार टीका कब लगा था?

प्रायः नहीं है। व्ययक्त में।

16. क्या आपके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात और है, जो उपयुक्त प्रश्नों में न आई हो और जो मेडिकल बोर्ड को सूचित कर देनी चाहिये?

नहीं

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

(मेडिकल बोर्ड के सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिए)

मैं यह घोषित करता हूँ कि उपयुक्त सम्पूर्ण उत्तर मेरे पूर्ण विश्वास के साथ सत्य और सही हैं।

मैं मेडिकल बोर्ड को पूर्ण रूप से उन सब परिस्थितियों को प्रकट करूँगा जिनका मुझे ज्ञान है और जिसका सम्बन्ध मेरे स्वास्थ्य और उपयुक्त से उस नियुक्ति के लिए है जिसका मैं उम्मीदवार हूँ।

मुझे इसका पूरा ज्ञान है कि किसी सूचना को इच्छा पूर्वक छिपाने पर मैं नियुक्ति न किये जाने या नियुक्ति किये जाने पर उससे हाथ धोने का खतरा उठाऊँगा।

Annul Pal
2011/12/10

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Annul Pal

तारीख 01/12/2010

अध्यक्ष राजा विद्यापीठ, उ०प्र०

चेयरमैन मेडिकल बोर्ड।

विद्यार्थी कल्याण विद्यापीठ उ०प्र०

राजपुर

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

सन्दर्भ संख्या आर्मेल पोल्टांक विभाग
 अभ्यार्थी का नाम नियुक्ति पदनाम
 परीक्षण तिथि हस्ताक्षर अभ्यार्थी

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

प्रश्न	उत्तर	(टिप्पणी)
1	Height..... 2.167 m Weight..... 62 kg Chest After full inspiration..... 95 cm Chest After full expiration..... 90 cm	
1. क्या इसके पूर्व पृष्ठ के घोषणा-पत्र पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं।	yes	
2. क्या जनजाति या बाद में उत्पन्न अंग विकृति का कोई प्रमाण है?	no	
3. क्या वह घावों के निशानों से मुक्त हैं और क्या वह अपने सब अंगों का पूरा उपयोग कर सकता है।	yes	
4. क्या कोई ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिनसे यह निश्चय रूप से कहा जाय कि उसका शरीर धातु विकृति या धातु दोष युक्त है?	no	
5. क्या उम्मीदवार को विगत 6 वर्षों में सन्तोषजनक रीति से टीका लगा है?	no	
6. क्या कोई लक्षण स्नायु मण्डल सम्बन्धी बीमारी के हैं?	no	
7. क्या श्रवण-शक्ति अच्छी है?	yes	
8. क्या दृष्टि अच्छी है?	yes	
9. क्या उसकी वाक-शक्ति जहाँ से उच्चारण का सम्बन्ध है, अच्छी है?	yes	
10. क्या हड्डियों, जोड़ों या उनसे सम्बन्धित अंगों की बीमारी के कोई लक्षण हैं?	no	
11. क्या चर्म रोग सम्बन्धी कोई विशेष बीमारी है?	no	
12. क्या दिल और धमनियाँ स्वस्थ हैं?	yes	
13. क्या उम्मीदवार को अर्श, बवासीर, अण्डकोष की नसों का सूजन या नसों की अन्य कोई बीमारी है?	no	
14. क्या स्वींसोच्छ्वास सम्बन्धी इन्द्रियों के रोग के कोई प्रमाण हैं?	no	
15. क्या पागल क्रिया सम्बन्धी अंगों के रोग के कोई लक्षण हैं? क्या दाँत अत्यन्त खराब या अन्य प्रकार दोषपूर्ण हैं?	no	
16. क्या उम्मीदवार का शरीर विदीर्ण तो नहीं है?	no	
17. क्या जननेन्द्रिय की बीमारी के कोई लक्षण हैं?	no	
18. क्या पेशाब (1) ऐलबुमन और (2) शक्कर से रहित है क्या पेशाब और तरह ठीक है?	yes	
19. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात है जिसके कारण वह H.S.S के कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करने में अयोग्य समझते हो?	no	
20. क्या आप उम्मीदवार को सब प्रकार से लगातार और समुचित रूप H.S.S के कर्तव्यों का पालन करने के लिए हर प्रकार योग्य समझते हैं?	yes	

तारीख

एवं विश्वविद्यालय, मेडिकल विभाग
 मेडिकल कालेज, लखनऊ

एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 लखनऊ

मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर
 चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, लखनऊ

Roll No 332

Page No 139

**CHECK LIST FOR SCRUTINY OF APPLICATION FORMS OF
U.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE EXAMINATION, 2009**

Sl. No.	Particulars	Put (✓) for Yes and (x) for No
1.	Is the age of candidate between 35 to 45 years i.e. from 01.01.1965 to 02.01.1975?(Refer Col. No.3(i))	✓
2.	Nationality of the candidate. (Refer Col. No. 4)	✓
3.	Is the candidate claiming reservation?(Refer Col. No.7)	x
4.	Does the candidate have 07 years standing as Advocate on 01.01.2010?(Refer Col. No.14)	✓
5.	Was the Enrolment Certificate ever suspended?(Refer Col. No.15(i))	x
6.	Did the candidate ever figure as an accused? (Refer Col. No.16)	x
7.	Was the candidate ever convicted of any offence?(Refer Col. No.17)	x
8.	Has the candidate enclosed D.D towards examination fee?(Refer Col. No.23)	✓
9.	Has the candidate filled and signed the declaration and verification card?	✓
10.	Has the application form and verification card been duly forwarded by the competent authority?	✓
11.	Has the candidate enclosed attested copies of following?	
i.	High School and other academic certificates.	✓
ii.	Certificates of character	✓
iii.	Certificate of Enrolment as an Advocate	✓
iv	Certificate of standing as an Advocate	✓
v.	Certificate of caste in case of candidates claiming reservation.	x

FORM NO. : 1206

CONTROL NO. : 337

Shubh
6/7/09

Application Form **ACCEPTED**

Checked by:

He has joined the services as Junior Division (Civil Judge) in P.S.D)

Application Form **REJECTED** on the ground: _____

SIGNATURE

C.No. 337 *will always*

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Joint Registrar
High Court,
Allahabad.APPLICATION FORM FOR
DIRECT RECRUITMENT TO THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE -2009

For office use only (Not to be filled by the Candidates)

Serial No.: 1206

Roll No.: 337

Name of Centre: _____

Request 139

(To be filled up in CAPITAL LETTERS by the candidate in his/her own handwriting in accordance with the "Instructions for the guidance of the candidates". Candidates are warned that any inaccuracy in the information furnished will lead to disqualification.

PROVISIONAL

BISHOP JOHNSON SCHOOL
AND COLLEGEBISHOP JOHNSON SCHOOL
AND COLLEGEG. MARG, NEAR PATTHAR
GIRJA, ALLAHABADG. M. G. NEAR PATTHAR
GIRJA, ALLAHABAD

1.	Full Name	ANMOL PAL GORAKHPUR
2.	Father / Husband's Name:	M. R. K. PAL
3.	Date of Birth(As recorded in Matriculation Certificate)	25-04-1973 (TWENTY FIFTH APRIL NINETEEN SEVENTY THREE)
3(i)	Age (as on 01.01.2010)	36 Years 8 Months 7 Days
4.	Nationality	INDIAN
5.	Sex (Male/ Female)	MALE
6.	Marital status (Married/ Unmarried/Divorcee/ Widow/ Widower)	MARRIED
7.	Category: (General/S.C./S.T./OBC)	GENERAL
8.	Permanent Address:	H.NO.5D, MAHADEV JHARKHANDI TUKRANO, SHIVPUR ROAD, SINGHARIA P.O. KUNRAGHAT, GORAKHPUR PIN: 273008
9.	Address for correspondence	H.NO. 5D, MAHADEV JHARKHANDI TUKRANO, 1 SHIVPUR ROAD, SINGHARIA P.O. KUNRAGHAT, GORAKHPUR PIN: 273008
10.	Contact Numbers	(i) E-mail ID : _____ (ii) Mobile: 9889271460 (iii) Land Line(with STD code): _____

11. Academic Qualifications:

Sl. No.	Name of Examination	Year	Percentage of Marks	Name of Board/University
1	High School	1989	85.4 %	C. B. S. E.
2	Intermediate	1991	67.8 %	C. B. S. E.
3	Graduation	1994	62.28 %	LUCKNOW UNIVERSITY
4	Post Graduation			
5	LL.B.	1997	52.94 %	LUCKNOW UNIVERSITY
6	LL.M.			
7	(Other academic qualifications, if any)			

12.	Have you ever been employed? If yes :- (i) Name of the post or nature of employment; (ii) Name of employer; (iii) Date of joining; (iv) Date of termination; (v) Reason for termination (vi) Salary;	Yes/No (strike out the part not applicable) NO.
13.	Enrolment as an Advocate Name of the Bar Council	Enrolment No: <u>10101/01</u> Date: <u>21-11-2001</u> <u>BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH, ALLAHABAD.</u>
14.	Standing as an Advocate as on 01.01.2010	<u>8</u> Years <u>1</u> Months <u>11</u> days
15.	Whether any proceeding was ever initiated against you for professional misconduct or Contempt of Court? If so, give particulars with result and also enclose certified copy of order/ judgment passed in the proceeding by the State Bar Council/Bar Council of India/ High Court and Supreme Court of India, if any.	NO.
15(i)	Was your Enrolment Certificate ever suspended? If yes, give complete particulars	NO.
16.	Did you ever figure as an accused or a complainant in any criminal case? If so, give particulars with result and also enclose certified copies of judgment/ order of the Trial/ Appellate/ Revisional Court, if any.	NO.
17.	Whether you have ever been convicted of any offence? If so, give full particulars.	NO.
18.	Do you possess thorough knowledge of Hindi (Devnagri script)?	YES
18(i)	Are you proficient in English?	YES
19.	Name of District Judge/ Registrar/Registrar General of the High Court who has issued Character Certificate.	SRI CHANDRA BHAL SRIVASTAVA (Character Certificate issued on 04-05-2009) DISTRICT JUDGE GORAKHPUR.
20.	Full name, profession and address of two responsible persons (not related) who have issued Character Certificates	(1) - DR. UMESH CHANDRA; PROFESSION - DOCTOR ADDRESS - 100 C, NEW AVAS-VIKAS COLONY, BETIAHATA (SOOTH) GORAKHPUR (U.P.) - 273001 (2) - SRI PRABHU DAYAL SINGH, PROFESSION - ADVOCATE ADDRESS - MAHADEV JHARKHANDI TUKRA NO.1, SINGHARIA - SHIVPUR ROAD, P.O. KUNRAGHAT, GORAKHPUR - 273008

Request 139

21.	Have you ever appeared in U.P. H.J.S. Examination? Have you ever been debarred from examination? If so, give details.	NO.
22.	Are you an Income Tax Assessee? If yes, give your PAN No.:	NO.
23.	Particulars of payment of Examination fee:	Amount Rs. 750/- (Seven Hundred Fifty Only) D.D. No. 145580 Date 22-04-2009 Name & Branch of issuing Bank SBI, Branch: MOHADDIPUR DISTRICT- GORAKHPUR

DECLARATION

Verified on this 07 day of MAY 2009 at GORAKHPUR that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected at any stage, action may be taken against me by the High Court of Judicature at Allahabad and I may be disqualified/dismissed.

I further verify and state that I have not been dismissed from any service by any High Court, Government, Statuary authority or local authority in the past and that I have neither been convicted of any offence under the law of the land nor have been bound down for good conduct under any of the provisions contained in Chapter VIII of Criminal Procedure Code nor have been permanently debarred/dissqualified from appearing in any examination.

I, further verify that I have never been found guilty of professional misconduct under the provisions of the Advocate Act, 1961 or any other law.

I further declare that I do not have more than one living wife/husband (score off whichever is not applicable).

I also declare that I am not a discharged insolvent. I shall not directly or indirectly influence the selection process in any manner.

I have read the provisions of U.P. Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended up to date) and instructions of the High Court attached with this form carefully and I undertake to abide by them.

I further declare that I fulfil all the conditions of eligibility regarding age limits, educational qualifications, reservation, experience etc. prescribed for the admission to the examination. I agree with the condition that the decision of the Selection & Appointment Committee regarding eligibility or otherwise or the candidature for admission to the examination shall be final.

Application form incomplete in any respect shall stand rejected without any information to the candidate.

Place : Gorakhpur

Date: 07-05-2009

A. Pat
Anmol Pat
(Full signature of the candidate)

The endorsement below must be filled and signed by the District & Sessions Judge of U.P./Registrar General/Registrar (where there is no post of Registrar General) of the High Court concerned/Registrar General, Allahabad High Court/Registrar, Lucknow Bench, Lucknow.

Presented to me on 07-05-09

Signature

Name & designation District Judge

GORAKHPUR

(official seal)